Ref - 157/ए० भा० ह०-193/2022/बाँदा 06/4/22

सेवा में

मा0 रजिस्टार,
राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
प्रिसिपल बेंच, नई दिल्ली।

विषय–**मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–193/2022 Rajjan Pandey Vs State of Uttar Pradesh & Ors. में दिनांक 10.03.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय्

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा उक्त प्रकरण में पारित आदेश का अनुपालन कराये जानें हेतु सदस्य सचिव उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक– जी 37646/सी–2/विधि अनु0/नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नं0–178/22 दिनांक 22.03.2022 के द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा को जांच हेतु नामित किया गया है, जिसके अनुपालन में खान अधिकारी, बॉदा से सम्पर्क किया गया और उक्त आदेश के अनुपालन हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, बॉदा के पत्रांक–566/खनिज–30, बॉदा दिनांक 23.03.2022 के माध्यम से जांच कराये जाने हेतु संयुक्त समिति का गठन किया गया,**(छायाप्रति संलग्न–1)** जिसके परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा दिनांक 23.03.2022 को श्री रामदास वैज्ञानिक सहायक को उक्त जांच समिति हेतु नामित किया गया है। उक्त प्रकरण पर संयुक्त समिति के द्वारा जांच हेतु दिनांक 30.03.2022 को शिकायतकर्ता श्री रज्जन पाण्डेय के साथ उनके द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन दिनांक 24.02.2022 के उल्लेखित बिन्दुओं के परिक्षण/जांच हेतु ग्राम–नहरी व खलारी के खनन स्थल पर जाकर खान विभाग द्वारा आवंटित लीज के अनुसार उपस्थित ग्रामीणों के साथ उक्त स्थल पर शिकायती बिन्दुओं की जांच की गई। जांच के समय पाये गये तथ्यों की बिन्दुवार आख्या **(छायाप्रति संलग्न–2)** संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय

06/4/22

(घनश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
बॉदा।

सलग्नक -1

कोर्ट केश/महत्वपूर्ण

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 566 /खनिज–30, बाँदा

दिनांक : मार्च 23 ,2022

"कार्यालय आदेश"

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–193/2022 रज्जन पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक–10.03.2022 के कार्यकारी अंश निम्नवत है :–

"Grievance of the applicant Mr. Rajjan Pandey is regarding illegal mining, crushing and blasting in the hills of Village Nahri, Gata no. 156,218,309, 501, 587, 588, 589 and 601 and hills of Village Khalari, Gata No. 54,144,145, Distt. Banda, Uttar Pradesh in violation of the environmental norms. It is submitted that illegal mining and blasting is causing air and water pollution in the surrounding area due to which the lives of nearby villagers and their cattle are in danger. It is also submitted that because of blasting, houses of the villagers have been destroyed and water of the pond became poisonous due to which many cattle have been died.

Having regard to the seriousness of the allegations, it appears necessary to ascertain the factual position in the matter through a Joint Committee of the State PCB, Director Mining and Geological Department, DFO and District Magistrate-Banda (Uttar Pradesh). The State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance. The Joint Committee may meet within four weeks and undertake site visit and look into the grievance of the applicant. Factual and action taken report may be furnished within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF."

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के क्रम में शिकायतकर्ता श्री रज्जन पाण्डेय के प्रत्यावेदन दिनांक 24.02.2022 में उल्लिखित ग्राम–नहरी, तहसील नरैनी के गाटा सं0–156, 218, 309, 501, 587, 588, व 601 तथा ग्राम–खलारी, तहसील नरैनी के गाटा सं0–54, 144, 145 में स्वीकृत किये गये खनन परिहार के सम्बन्ध में कतिपय अनियमितताओं/समस्याओं के सम्बन्ध में समिति गठित करते हुये जांचोपरान्त नियमानुसार कृत कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है, जिसके लिये निम्नवत समिति का गठन किया जाता है :–

1. प्रभागीय वनाअधिकारी, बांदा।
2. उपजिलाधिकारी, नरैनी।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा (नोडल अधिकारी)।
4. मानचित्रकार/खान निरीक्षक/खान अधिकारी, बांदा।

अतः उपरोक्त गठित समिति को निर्देशित किया जाता है कि मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 10.03.2022 के अनुपालन में उपरोक्त प्रत्यावेदन में उल्लिखित शिकायत की जांच कर संयुक्त जांच आख्या अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें तथा तत्सम्बन्ध में जांचोपरान्त पायी गयी अनियमितता के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अनुपालन आख्या ससमय मा0 न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

SA 25/3/22

(अनुराग पटेल)
जिलाधिकारी, बाँदा।

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : गठित समिति को अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
बाँदा।

सं० 164/ख0
05/4/22

संयुक्त जाँच आख्या

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बाँदा।

महोदय,

कृपया कार्यालय जिलाधिकारी, बांदा के पत्र सं0–566/खनिज–30 बांदा दिनांक 23.03.2022 के अनुपालन में संयुक्त गठित टीम द्वारा आज दिनांक 30.03.2022 को मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–193/2022 रज्जन पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.03.2022 के क्रम में शिकायतकर्ता श्री रज्जन पाण्डेय के प्रत्यावेदन दिनांक 24.02.2022 में उल्लिखित बिन्दुओं ग्राम–नहरी, तहसील नरैनी के गाटा सं0–156, 218, 309, 501, 587, 588, व 601 तथा ग्राम–खलारी, तहसील नरैनी के गाटा सं0–54, 144, 145 में गिट्टी/पत्थर के स्वीकृत/निष्पादित खनन पट्टो का संयुक्त निरीक्षण/जांच टीम द्वारा मौके पर जाकर शिकायतकर्ता श्री रज्जन पाण्डे व अन्य नहरी ग्रामवासी की उपस्थिति में की गयी। जांच आख्या निम्नवत है :–

क्र0 सं0	पट्टाधारक का नाम	ग्राम	गाटा संख्या/खण्ड संख्या	रकबा (है0 में)	जियोकोआर्डिनेट्स	ई.सी. की स्थिति (हां/नही)	वन विभाग की अनापत्ति (हां/नही)	संचालित (हां/नही)	आबादी से दूरी (मीटर में)	ब्लास्टिंग के कारण आबादी में नुकसान स्थिति	ध्वनि/वायु प्रदूषण की स्थिति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1.	श्रीमती जसमीत कौर मल्होत्रा	नहरी	218 (खण्ड सं0–1)	2.00	(A) 25°5'21.47" N 80°21'23.31" E (B) 25°5'19.60" N 80°21'22.28" E (C) 25°5'18.54" N 80°21'23.73" E (D) 25°5'14.54" N 80°21'21.38" E (E) 25°5'15.99" N 80°21'17.92" E (F) 25°5'19.42" N 80°21'18.90" E	हां	हां	हां	50 मी0से अधिक	कोई नुकसान नही पाया गया।	ध्वनि/वायु प्रदूषण नही पाया गया।	जांच के समय खनन कार्य बंद पाया गया। ग्रामवासियों से जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि विगत 02 माहो से खनन कार्य बंद है।
2.	श्रीमती जसमीत कौर मल्होत्रा	नहरी	218 (खण्ड सं0–2)	2.00	(A) 25°5'15.99" N 80°21'17.92" E (B) 25°5'14.54" N 80°21'21.38" E (C) 25°5'13.28" N 80°21'20.95" E (D) 25°5'10.97" N 80°21'22.84" E (E) 25°5'8.88" N 80°21'22.40" E (F) 25°5'9.79" N 80°21'18.36" E (G) 25°5'11.82" N 80°21'18.48" E (H) 25°5'13.08" N 80°21'17.68" E	हां	हां	हां	50 मी0से अधिक	कोई नुकसान नही पाया गया।	ध्वनि/वायु प्रदूषण नही पाया गया।	जांच के समय खनन कार्य बंद पाया गया। ग्रामवासियों से जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि विगत 02 माहो से खनन कार्य बंद है।

3.	श्रीमती अमरित कौर	नहरी	587 व 588 (खण्ड सं0–8)	2.00	(A) 25°05′32.76″N 80°22′07.18″E (B) 25°05′31.20″N 80°22′09.25″E (C) 25°05′26.27″N 80°22′04.11″E (D) 25°05′26.79″N 80°22′00.33″E	हां	हां	हां	50 मी0से अधिक	कोई नुकसान नही पाया गया।	ध्वनि /वायु प्रदूषण नही पाया गया।	जांच के समय खनन कार्य बंद पाया गया। ग्रामवासियों से जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि विगत 02 माहो से खनन कार्य बंद है।
4.	मे0 जय मां शारदा ट्रेडर्स श्री राम मिलन	नहरी	587 (खण्ड सं0–1)	0.80	A-25°05′41.12″ N 80°21′56.89″E B-25°05′39.36″ N 80°22′01.51″E C-25°05′37.81″ N 80°22′00.18″E D-25°05′39.36″ N 80°21′55.69″E	हां	हां	हां	50 मी0से अधिक	कोई नुकसान नही पाया गया।	ध्वनि /वायु प्रदूषण नही पाया गया।	जांच के समय खनन कार्य बंद पाया गया। ग्रामवासियों से जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि विगत 02 माहो से खनन कार्य बंद है।
5.	श्री मुजीबुद्दीन सिद्दीकी	नहरी	501	1.21	A-25°05′35.38″ N 80°22′44.52″ E B-25°05′36.42″ N 80°22′43.90″ E C-25°05′36.52″ N 80°22′40.70″ E D-25°05′34.15″ N 80°22′39.53″ E E-25°05′32.84″ N 80°22′41.44″E F-25°05′33.14″ N 80°22′43.15″ E	हां	हां	हां	50 मी0से अधिक	कोई नुकसान नही पाया गया।	ध्वनि /वायु प्रदूषण नही पाया गया।	जांच के समय खनन कार्य बंद पाया गया। ग्रामवासियों से जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि विगत 02 माहो से खनन कार्य बंद है।
6.	एस0आर0 एनोवेशन एल0एल0पी0 प्रो0 श्री सुरेन्द्र पुनिया	नहरी	587 (खण्ड सं0–7)	2.00	A-25°05′33.53″ N 80°22′06.25″ E B-25°05′32.76″ N 80°22′07.18″ E C-25°05′26.79″ N 80°22′00.33″ E D-25°05′28.27″ N 80°21′59.39″ E E-25°05′28.21″ N 80°21′57.60″ E F-25°05′31.95″ N 80°22′01.82″ E G-25°05′30.55″ N 80°22′03.18″E	हां	हां	हां	50 मी0से अधिक	कोई नुकसान नही पाया गया।	ध्वनि /वायु प्रदूषण नही पाया गया।	जांच के समय खनन कार्य बंद पाया गया। ग्रामवासियों से जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि विगत 02 माहो से खनन कार्य बंद है।
7.	श्रीमती अमरित कौर	नहरी	587 (खण्ड सं0–5)	2.00	A-25°05′37.49″ N 80°22′00.25″E B-25°05′36.00″ N 80°22′02.18″E C-25°05′29.54″ N 80°21′56.11″E D-25°05′31.26″ N 80°21′54.03″E	हां	हां	हां	50 मी0से अधिक	कोई नुकसान नही पाया गया।	ध्वनि /वायु प्रदूषण नही पाया गया।	जांच के समय खनन कार्य बंद पाया गया। ग्रामवासियों से जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि विगत 02 माहो से खनन कार्य बंद है।

8.	मे0 एस0एस0 ग्रेनाइट पार्टनर श्री अतीक अहमद	नहरी	309	3.25	A-25°05'33.01" N 80°21'28.98" E B-25°05'38.21" N 80°21'26.42" E C-25°05'39.58" N 80°21'33.50" E D-25°05'35.19" N 80°21'35.82" E	हां	हां	हां	50 मी0से अधिक	कोई नुकसान नही पाया गया।	ध्वनि /वायु प्रदूषण नही पाया गया।	जांच के समय खनन कार्य बंद पाया गया। ग्रामवासियों से जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि विगत 02 माहो से खनन कार्य बंद है।
9.	एस0आर0 एनोवेशन एल0एल0पी0 प्रो0 श्री सुरेन्द्र पुनिया	नहरी	587 (खण्ड सं0–2)	0.80	A-25° 05' 34.83" N 80° 22' 04.75" E B-25° 05' 33.53" N 80° 22' 06.25" E C-25° 05' 31.95" N 80° 22' 0.82" E D-25° 05' 30.55" N 80° 22' 03.18" E	हां	हां	हां	50 मी0से अधिक	कोई नुकसान नही पाया गया।	ध्वनि /वायु प्रदूषण नही पाया गया।	जांच के समय खनन कार्य बंद पाया गया। ग्रामवासियों से जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि विगत 02 माहो से खनन कार्य बंद है।
10.	मे0 हर्षित इण्टर प्राईजेज पार्टनर श्री हर्षित सिंह	खलारी	45	3.68	A-25° 05' 23.53" N 80° 22' 47.79" E B-25° 05' 25.68" N 80° 22' 46.56" E C-25° 05' 28.21" N 80° 22' 47.56" E D-25° 05' 30.89" N 80° 22' 42.23" E E-25° 05' 32.71" N 80° 22' 46.74" E F-25° 05' 30.10" N 80° 22' 49.25" E G-25° 05' 29.53" N 80° 22' 48.40" E H-25° 05' 27.15" N 80° 22' 51.73" E I-25° 05' 24.17" N 80° 22' 52.76" E J-25° 05' 23.31" N 80° 22' 50.54" E	हां	हां	हां	50 मी0से अधिक	कोई नुकसान नही पाया गया।	ध्वनि /वायु प्रदूषण नही पाया गया।	जांच के समय खनन कार्य बंद पाया गया। मौके पर खनन स्थल पर खण्डा/बोल्डर एकत्रित पाये गये। ग्रामवासियों से जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि विगत कुछ दिनो से खनन कार्य बंद है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि मौके पर उपस्थिति शिकायत कर्ता श्री रज्जन पाण्डे व अन्य नहरी ग्रामवासियों के द्वारा मुख्यतः यह मांग की गयी है कि ग्राम–नहरी व खलारी में स्वीकृत खनन पट्टो में बिना सम्बन्धित विभाग के परमिशन का ब्लास्टिंग न हो, जिसके सम्बन्ध में समस्त पट्टाधारक को खदानों में ब्लास्टिंग प्रयोग करने के मामले में नियमानुसार खान सुरक्षा निदेशक, वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी (उ0प्र0) से दिशा निर्देश प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। **ग्राम–नहरी के गाटा सं0–156, 589 व 601 तथा ग्राम–खलारी के गाटा सं0–54 व 145 में गिट्टी/बोल्डर के खनन पट्टा स्वीकृत नही है।** निरीक्षण के समय शिकायती प्रार्थना–पत्र में उल्लिखित वन्य जीव जैसे सियार, लकड़बग्घा, मोर, तीतर, गिद्ध, चील आदि नही पाये गये। शिकायत कर्ता व ग्रामवासी के द्वारा बताया गया कि उपरोक्त जीव–जन्तु शाम होने के बाद दिखाई देते है। उपरोक्त सभी खनन पट्टे वन स्वरूप में नही है। ग्राम–खलारी के आस–पास कोई तालाब नही पाया गया तथा

ग्राम नहरी के आस–पास छोटे–छोटे तलाबो वर्षा त्रुति का पानी एकत्रित पाया गया, जो कि विषैला नही है, जिसमें जैसे जानवरो व पशु भैसे आदि के साथ छोटे–छोटे बच्चे (मानव) नहाते हुये दिखाई पाये गये तथा उक्त पिट्स युक्त तालाबो के आस–पास कोई जल प्रदूषण उद्योग व ईकाई स्थापित नही है तथा आस–पास कोई अन्य घरेलू उत्प्रवाह निस्तारित नही किया जाता है, जिससे स्पष्ट है कि तालाब का पानी विषैला नही है। इस सम्बन्ध में ग्रामवासियों द्वारा बयान दिया गया है उक्त तालाब का पानी पीने से किसी जानवर की मृत्यु होने की सूचना नही दी गयी है। उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियमो के अनुसार उपरोक्त सभी खनन पट्टा आबादी से 50 मीटर से अधिक दूरी पर है, जिसे खनिज विकास एवं राजस्व हित तथा जन सामान्य को उचित दर पर उपखनिज की आपूर्ति एवं सार्वजनिक निर्माण कार्यो में उपखनिज की आपूर्ति को दृष्टिगत रखते हुये खनन पट्टा निरस्त किया जाना उचित नही होगा। उपरोक्त 10 खनन पट्टो से कुल धनराशि रू0 3,28,66,700/– वार्षिक राजस्व राज्य सरकार को प्राप्त होगी तथा रोज़गार भी लोगो को प्राप्त होगा। इस प्रकार उक्त शिकायत बलहीन व तथ्यो से परे होने के दृष्टिगत होने के कारण निक्षेपित होने योग्य है।

वांछित आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

खान निरीक्षक
बाँदा।

वन क्षेत्राधिकारी
बाँदा।

वैज्ञानिक सहायक
उ0प्र0प्र0नि0, बोर्ड, बाँदा।

क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0प्र0नि0, बोर्ड, बाँदा।

खान अधिकारी
बाँदा।

उपजिलाधिकारी
नरैनी।

प्रभागीय वन अधिकारी
बाँदा।